न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नंबर 2023/149

1. शम्भूदयाल सैन पुत्र जगदीश सैन, जाति नाई, निवासीग्राम झर, तहसील बस्सी, जिला जयपुर

—अपीलाण्ट

बनाम

1. गोपाल पुत्र सूज्या,
2. रामस्वरूप पुत्र सूज्या
3. मोहन पुत्र सूज्या समस्त जाति नाई, निवासी ग्राम झर, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर
5. निर्मला पत्नि लादूराम जाति नाई, निवासीग्राम झर, तहसील बस्सी, जिला जयपुर राज.।

—रेस्पोडेण्टस्

अपीलअन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर प्रकरण संख्या 143/2022 दिनॉक 28—12—2022 जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया गया,

उपस्थित—

1. श्री लालचन्द जाट, वकील अपीलान्ट।
2. श्री गोगराज चौधरी, राजेश शर्मा वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—14.08.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 28.12.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा—5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या—1 लगायत 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 128 एल. आर.एक्ट के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाके ग्राम झर तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 274 लगायत 279, 283 लगायत 286, 292, 293, 295, 301 के सीमाज्ञान दिनाक 21.10.2022 मुताबिक पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा आवेदन स्वीकार कर उक्त खसरा नम्बर का संयुक्त टीम गठित कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिनांक 28.12.2022 को दिये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 28.12.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर दिनांक 28.12.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि यह कि रेसपोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 के पिता सुज्या उर्फ सुरजमल पुत्र रामनिवास द्वारा एक वाद उनवानी सुज्या बनाम औमप्रकाश वगैराह न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर मु0 न0 75/2016 बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का उक्त भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 269 लगायत 279, 283 लगायत 295, 300 लगायत 302 कुल किता 27 कुल रकबा 705 हैक्टयर वाकेग्राम झर, तहसील बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध मे पेश किया था, जो गलत रूप से सभी पक्षकारान की अनुउपस्थिति दर्ज करते हुए एक्सपार्टी दिनॉक 1–6–2018 को प्रारम्भिक डिकी किया गया तथा बाला बाला ही दिनॉक 29–6–2018 को अन्तिम डिकी पारित करवाली गई। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष एवं न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दौ अलग अलग अपीले प्रस्तुत की गई जिन्हे मान्य न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान की डीबी द्वारा एडमिट करते हुए रिकार्ड कॉल का आदेश 2022 में ही दिया जा चुका है और अधिनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड शामिल मिसल हो चुका है। उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 को प्रारम्भ से ही जानकारी रही है तथा उनकी ओर से पैरवी भी की जा रही है। यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा योग्य अधिनस्थ न्यायालय से उपरोक्त सभी वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए और सभी आवश्यक पक्षकारान को पक्षकार बनाये बगैर ही कोल्यूजन करते हुए इसी भूमि के सन्दर्भ में एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढी करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और निवेदन किया कि उपरोक्त विवादित 27 खसरा नम्बरान की भूमि में से खसरा नम्बर 274 लगायत 279, 283 लगायत 286, 292 लगायत 295 व खसरा नम्बर 300 की सीमाज्ञान करवाने हेतू आवेदन किया। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 को प्रारम्भ से ही सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी रही है और सब तथ्यों को छिपाते हुए कोल्यूजन करते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी निर्मला पत्नी लादूराम जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुई अर्थात अप्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर का कोई नोटिस जारी नही हुआ और ना ही सरकार की ओर से कोई पैरवी करने हेतू उपस्थित रहा तथा ना ही कोई तहसील रिपोर्ट प्राप्त हुये और बिना सभी पक्षकारान के तामील के ही योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध तरीके से एवम् विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना ही आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट नहीं किया गया कि प्रार्थीगण को विवादग्रस्त भूमि कैसे प्राप्त हुई है एवं प्रार्थीगण कितने हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार है प्रार्थना पत्र की प्लीडिंग्स मे व चाहे गये अनुतोष मे स्पष्ट रूप से उक्त तथ्यों का वर्णन्न करना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की सहमति लिये बिना एवं उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज

संभागीय आयुक्त
जयपुर

किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर निर्णय दिनांक 28.12.2022 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाके ग्राम झर तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 274 लगायत 279, 283 लगायत 286, 292, 293, 295, 301 के सीमाज्ञान दिनाक 21.10.2022 मुताबिक पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिवत् अपनी खातेदारी की भूमि की पैमाइश पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 पेश किया। अपीलांट्स द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण को हैरान-परेशान करने की नियत से असत्य, मिथ्या बनावटी तथ्यों के आधार पर मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की प्रारम्भ से ही बखूबी जानकारी रही है। अपीलार्थी द्वारा उक्त मियाद बाहर अपील फौरे तथ्यों पर संतोषप्रद कारण के अभाव में एवं देरी ना के सम्बंध में कोई सम्यक युक्ति युक्त कारण दर्शित किये बिना ही अपील पेश की है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधिवत् अपनी खातेदारी की भूमि की पैमाइश पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 पेश किया जिस पर न्यायालय द्वारा विधिवत् उक्त खसरा नम्बर पर उभयपक्षकारान् को सूचित कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये जो कि उचित एवं विधिसम्मत् है। प्रत्येक खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपनी खातेदारी की भूमि की विधिक प्रक्रिया के तहत पत्थरगढी पैमाईश करवा सकता है। अपीलांट को उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है। अतः ऐसी स्थिति में अपील खारिज किये जाने योग्य हैं अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अतः न्यायहित में अपीलाधीन आदेश जानकारी देरी से प्राप्त होने से अपीलांट्स द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रभावित पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या-1 लगायत 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाके ग्राम झर तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 274 लगायत 279, 283 लगायत 286, 292, 293, 295, 301 के सीमाज्ञान दिनाक 21.10.2022 मुताबिक पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा आवेदन स्वीकार कर उक्त खसरा नम्बर का संयुक्त टीम गठित कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिनांक 28.12.2022 को दिये गये।इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि के संबंध मेंन्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी, राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर एवं माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में वाद दायर किये जा चुके हैं जिनमें अपीलांट व रेस्पो0 आवश्यक पक्षकार हैं। फिर भी रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट **को** पक्षकार बनाये बिना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया है। जिससे यह साबित होता है कि रेस्पो0 क्लीन हैण्ड से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुये हैं। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई एवं

संभागीय आयुक्त
जयपुर

साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 28.12.2022 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान् को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें तथा पत्थरगढी के दौरान किसी प्रकार के कब्जे दिये जाने एवं लिये जाने की कार्यवाही नही की जावे।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर